(जिला–नागौर राज.) 22.11.2016

5/12/2016 पत्रावली पेश हुई। श्री अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो याचिका विषय से संबंधित पत्रावली अग्रिम दिनांक 19.12.2016 को पेश हो।

तहसीलदार, डीडवाना
(नागौर - राजस्थान)

19.12.2016 पत्रावली पेश हुई। गैर साधक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पत्रावली हल्का पडाऊकलां के मौजा पडाऊकलां के खसरा 120 रकबा 0.12 हे. किस्म भूमि में 0.12 गैर साधक वर्ष 2013 में देवाराम पुत्र भगाराम कोम पटवार हल्का पडाऊकलां के विरुद्ध अतिक्रमण करने के संबंध में एफ.आई.आर. पेश किया। जिस पर इस न्यायालय के नामस्था. मु. दण्ड संहिता की धारा 9 के तहत पंजीबद्ध करते हुए गैर साधक के विरुद्ध LRAC एक्ट की धारा 91(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैर साधक का नोटिस बार बार भिजवाने पर भी जवाबी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। जिसके संबंध में पत्रावली पर श्री अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट अंकित है कि गैर साधक का अतिक्रमण करना पाया गया है। गैर साधक वर्ष में दो तीन बार जुता जाता पाया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण को राजकीय भूमि पर होने से अतिक्रमण करने से अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजकीय भूमि से गैर साधक द्वारा किये अतिक्रमण को मौखिक चेतावनी देकर खाली करने एवं कार्रवाई के लागत का पत्रावली शुल्क मु.रु. 42/- बयालीस रुपये का भुगतान किये चाहे है। पत्रावली हल्का पडाऊकलां को अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौखिक मना से खाली करने एवं आगे किसी प्रकार का नहीं करने हेतु चेतावनी देकर मौका रिपोर्ट को देने का आदेश पत्रावली फिर से शुभ दिनांक को पेश हो कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो।

तहसीलदार, डीडवाना
(नागौर - राजस्थान)

वर्ष 2073 रुपये 42/-
रा.ले. 4 में 1.4.D. पर दर्ज कीया

तहसील कार्यालय तहसीलदार, डीडवाना